

85 मर 11
5-6/13

✓



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
वैशाख 11, बुधवार, शाके 1935-मई 1, 2013 Vaisakha 11, Wednesday, Saka 1935-May 1, 2013	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 26, 2013

S.O. 35:- मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 1 की उप-धारा (3) के साथ प्रदत्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, राजस्थान राज्य के लिये मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) को अंगीकृत करते हुये 22 मार्च, 2013 को राजस्थान राज्य विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित संकल्प पारित किया गया था:-

यतः संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में गोवा, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के विधानमण्डलों के सभी सदस्यों द्वारा इस आशय के संकल्प पारित किये गये हैं कि मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (1994 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 42) को संसद द्वारा संशोधित किया जाये।

और यतः पूर्वोक्त संकल्पों के अनुसरण में संसद ने मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) पारित किया है;

और यतः उक्त संशोधन अधिनियम का प्रसार उन्हीं अन्य राज्यों पर होगा जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा इस अधिनियम को अंगीकार करे ;

और यतः इस सभा को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) को राजस्थान राज्य में अंगीकार किया जाना चाहिए ;

अतः अब, संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में यह सभा यह संकल्प करती है कि मानव अंग प्रतिरोषण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) को अंगीकार किया जाये।

यह साधारण जनता की सूचना के लिये इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है।

[संख्या एफ. 16(1)एम.ई. / गुप-1 / 2005 पार्ट]

राज्यपाल की आज्ञा से,

राजेश यादव,

संयुक्त शासन सचिव,

चिकित्सा शिक्षा विभाग।

**MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT
NOTIFICATION**

Jaipur, April 26, 2013

S.O. 35 :- In pursuance of the provisions of clause (1) of article 252 of the Constitution of India read with sub-section (3) of section 1 of the Transplantation of Human Organs (Amendment) Act, 2011 (Central Act No. 16 of 2011), the following resolution was passed by the Rajasthan State Legislature on 22 March, 2013 adopting the Transplantation of Human Organs (Amendment) Act, 2011 (Central Act No. 16 of 2011), for the State of Rajasthan:-

WHEREAS, in pursuance of clause (1) of article 252 of the Constitution, resolution have been passed by all the Houses of the Legislatures of the States of Goa, Himachal Pradesh and West Bengal to the effect that the Transplantation of Human Organs Act, 1994 (Central Act No. 42 of 1994) should be amended by the Parliament;

AND WHEREAS, in pursuance of aforesaid resolutions Parliament has passed the Transplantation of Human Organs (Amendment) Act, 2011 (Central Act No. 16 of 2011);

AND WHEREAS, the said amending Act will extend to other States as may adopt this Act by resolution passed in that behalf in pursuance of clause (1) of article 252 of the Constitution;

AND WHEREAS, it appears to this Assembly to be desirable that the Transplantation of Human Organs (Amendment)